



स्थानीय निकाय नरिवाचन एवं चर्चाएँ

यह एडिटोरियल 20/06/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Grassroots peace”](#) लेख पर आधारित है। इसमें स्थानीय सरकार चुनाव में राजनीतिक हिसा की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलमिस के लयि:

[राज्य नरिवाचन आयोग, आदर्श आचार संहति \(MCC\)](#)

मेन्स के लयि:

राजनीतिक हिसा के कारण एवं परणाम, राज्य नरिवाचन आयोग के सुदृणीकरण की आवश्यकता।

[राज्य चुनाव आयोग](#) (State Election Commission- SEC) एक स्वायत्त एवं संवैधानिक निकाय है जो किसी राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराने के लयि उत्तरदायी है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लयि नरिदषिट आधारों और रीतके अलावा अन्य किसी प्रकार से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग यत्नश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, नषिपक्ष एवं पूरवाग्रहरहति तरीके से आयोजति कयि जाएँ तथा वह मतदाता सूची को अद्यतन करने और आदर्श आचार संहति (Model Code of Conduct- MCC) लागू करने में भी भूमिका नषिता है।

स्थानीय निकाय चुनाव भारत में लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं, कयोंकि वे ज़मीनी स्तर पर लोगों को शासन एवं वकिस गतविधि में भागीदारी हेतु सशक्त बनाते हैं। हालाँकि, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इन चुनावों में राजनीतिक हिसा और भयादोहन के दृष्टांत देखने को मलि हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और वधिके शासन को कमज़ोर करते हैं।

स्थानीय चुनाव में हिसा के कारण और परणाम

कारण:

शक्ति और संसाधनों के लयि प्रतस्पर्धा:

- जब चुनावों को एक 'ज़ीरो-सम गेम' के रूप में देखा जाता है, जहाँ वजिता को सब कुछ प्राप्त होता है और पराजति को कुछ भी नहीं मलिता, तो फरि सब कुछ दाँव पर लगा होता है और हिसा की प्रेरणा प्रबल होती है। इससे फरि राजनीतिक वरिधियों, समर्थकों या चुनाव अधिकारियों को धमकी देने, उनके उत्पीडन या हत्या करने जैसी स्थिति बिन सकती है।

जातीय या धार्मिक धरुवीकरण:

- जब चुनाव जातीय या धार्मिक आधार पर लड़े जाते हैं तो वे पहले से मौजूद आपसी दरारों और शकियतों को बढ़ा सकते हैं तथा कुछ समूहों के लयि अस्तित्व संबंधी खतरे की भावना उत्पन्न कर सकते हैं।
- ये वदिवेषपूर्ण भाषण (Hate Speech), भेदभाव या सांप्रदायिक झड़पों के कारण बिन सकते हैं।

कमज़ोर संस्थाएँ और वधिका शासन:

- जब चुनाव सुप्रबंधति, पारदर्शी या वशिवसनीय नहीं होते हैं तो वे चुनावी प्रक्रिया और इसके परणाम में भरोसे एवं वैधता को कमज़ोर कर सकते हैं।
- इससे पराजति पक्ष द्वारा वरिध प्रदर्शन, दंगे या परणामों को अस्वीकार करने की स्थिति बिन सकती है।

संगठित हिसा के अन्य रूप:

- जब चुनाव ऐसे परदृश्यों में आयोजति होते हैं जब गृह युद्ध, वदिराह, आतंकवाद या आपराधिक गतविधियों की स्थिति हो तो वे हिसा के इन रूपों से प्रभावति हो सकते हैं या नई तरह की हिसा को प्रेरति कर सकते हैं।
- इससे चुनावी प्रक्रिया या मतदाताओं के लयि व्यवधान, उनके भयादोहन या उन पर दबाव नरिमाण की स्थिति बिन सकती है।

परणाम:

मानव अधिकारों और गरमि का उल्लंघन:

- राजनीतिक हिसा पीड़ितों और उनके परवारों के लयि शारीरिक कषति, मनोवैज्ञानिक आघात, वसिथापन या मृत्यु का कारण बिन सकती है।

- चुनावी अखंडता और जवाबदेही को कमजोर करना:
 - राजनीतिक हिसा लोगों की इच्छा को विकृत कर सकती है, मतदान प्रतियोगिता को कम कर सकती है अथवा भय या पक्षपात के रूप में मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती है।
 - यह चुनावी विवादों की प्रभावी निगरानी, अवलोकन या न्यायनिरणयन को भी रोक सकता है।
- भरोसे और सामाजिक सामंजस्य की हानि:
 - राजनीतिक हिसा चुनावी संस्थानों और नरिवाचति प्रतनिधियों की प्रतषिठा एवं वैधता को नुकसान पहुँचा सकती है।
 - यह समाज में विभिन्न समूहों के बीच धरुवीकरण, आक्रोश या शतरुता को भी बढ़ा सकती है।
- विकास और स्थरिता के लयि बाधा:
 - राजनीतिक हिसा आर्थिक गतविधियों, सार्वजनिक सेवाओं या आधारभूत संरचना को बाधति कर सकती है।
 - यह असुरक्षा, अनश्चितता या अस्थरिता उत्पन्न कर सकती है जो नविश, विकास या सहयोग को बाधति कर सकती है।

हसिा पर अंकुश लगाने में राज्य चुनाव आयोग की भूमकिा

- राजनीतिक हसिा पर अंकुश लगाने में राज्य चुनाव आयोग (SEC) की भूमकिा यह सुनिश्चित करने के रूप में प्रकट होती है कि चुनावस्वतंत्र, नष्पिपक्ष और पूर्वाग्रहरहित तरीके से आयोजति कयि जाएँ।
- SEC के पास मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों एवं नगर नकियों के सभी चुनावों केसंचालन के अधीक्षण, नरिदेशन एवं नयितरण की शक्ति है।
- SEC प्रत्येक चुनाव से पहले विभिन्न उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा पालन कयि जाने वाले [आदरश आचार संहतिा](#) को भी लागू करता है ताकि चुनावी प्रक्रयिा की मर्यादा बनी रहे।
- SEC बूथ कैपचरगि, धांधली, हसिा और अन्य अनयिमतिताओं के मामले में चुनाव रद्द करने की भी शक्तिरिखता है।
- SEC से एक स्वतंत्र और नष्पिपक्ष संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है।

SEC के कार्यकरण में वदियमान चुनौतयिाँ

- स्वायत्तता का अभाव:
 - हालाँकि राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न अवसरों पर भारत के संविधान में नहिाति अपने कर्तव्यों का पालन करने की कोशशि की है, लेकनि उन्हें अपनी स्वायत्तता प्रकट कर सकने के लयि संघर्ष भी करना पड़ा है। उदाहरण के लयि:
 - महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयुक्त ने बलपूर्वक अभवियुक्त कयिा था कि उनके पास महापौर, उप-महापौर, सरपंच और उप-सरपंच पदों के लयि चुनाव कराने की शक्ति होनी चाहयि।
 - लेकनि राज्य विधानसभा ने उनके अधिकार क्षेत्र एवं शक्तयिों के संबंध में कथति संघर्ष के मामले में उन्हें वशिषाधिकार के उल्लंघन का दोषी पाया और मार्च 2008 में दो दिनों के लयि जेल भेज दयिा।
- राज्य चुनाव आयुक्त के लयि सुरक्षा का अभाव:
 - हालाँकि राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लयि नरिदषिट आधार एवं रीतिके अतरिकित अन्य कसिी तरीके से नहीं हटाने का उपबंध है (अनुच्छेद 243K(2)), लेकनि कई दृषटान्तों में इसका पालन नहीं कयिा गया है।
 - अपारमतिा प्रसाद सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरिणय दयिा कयिदरिाज्यपाल के पास नयिम द्वारा कार्यकाल तय करने या नरिधारति करने की शक्ति है तो उन्हें कार्यकाल की अवधि बढ़ाने के लयि या उसे कम करने के लयि नयिम में संशोधन करने की भी शक्ति प्रापुत है।
 - एक बार जब नरिधारति कार्यकाल समापुत हो जाता है तो नरिधरतमान राज्य चुनाव आयुक्त पद से हट जाता है और यह पद से हटाने के समान नहीं होता है।
- राज्य चुनाव आयुक्तों के लयि गैर-समान सेवा शरतें:
 - अनुच्छेद 243K(2) में कहा गया है कि कार्यकाल और नयिकुत राज्य विधायकिा द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नरिदेशति की जाएगी और इस प्रकार प्रत्येक राज्य चुनाव आयुक्त एक पृथक राज्य अधनियिम द्वारा शासति होता है।
 - यह राज्यों को नयिमों में एकतरफा तरीके से संशोधन करने की शक्ति दतिा है और यहाँ तक कि कई बार वे विधायी संवीक्षा को दरकनार करने के लयि अध्यादेश का भी उपयोग करते हैं (जैसा कि हाल में आंध्र प्रदेश में दखिा)।

राज्य चुनाव आयोग को सशक्त करने के उपाय

राज्य चुनाव आयोग को सशक्त करने से स्थानीय चुनावों की गुणवत्ता और वशि्वसनीयता में सुधार लाने में मदद मलि सकती है, साथ ही राजनीतिक हसिा को रोकने या कम करने में भी मदद मलि सकती है। राज्य चुनाव आयोग को सशक्त करने के कुछ संभावति उपाय नमिनलखति हैं:

- पर्यापुत संसाधन और कर्मी सुनिश्चित करना:
 - राज्य चुनाव आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करने के लयि पर्यापुत धन, कार्मकि, साधन और अवसंरचना होनी चाहयि।
 - राज्यपाल को राज्य चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहयि जो उसके कार्यों के नरिहन के लयि आवश्यक हों।
- स्वतंत्रता और जवाबदेही बढ़ाना:
 - राज्य चुनाव आयोग को कसिी भी स्रोत से राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाव या प्रभाव से मुक्त होना चाहयि।
 - राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लयि नरिदषिट आधार एवं रीतिके अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाना चाहयि।

राज्य चुनाव आयोग को अपने कार्यों एवं नरिणियों के लिये जनता और कानून के प्रतजिवाबदेह होना चाहिये ।

■ **चुनावी प्रबंधन और विवाद समाधान की स्थिति में सुधार करना:**

- राज्य चुनाव आयोग को मतदाता पंजीकरण, मतदाता शक्ति, मतदान व्यवस्था, गनिती और परणामों की घोषणा जैसे चुनावी प्रबंधन के लिये सर्वोत्तम अभ्यासों एवं मानकों को अपनाना चाहिये ।
- राज्य चुनाव आयोग के पास चुनाव संबंधी विवादों, आक्षेपों एवं शिकायतों को समय पर और नष्पक्ष तरीके से हल करने के लिये एक प्रभावी तंत्र भी होना चाहिये ।

अभ्यास प्रश्न: भारत में स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र एवं नष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका एवं महत्त्व की चर्चा कीजिये । उनके समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ मौजूद हैं और उनसे निपटने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जसिका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहति करना है, नमिनलखिति में से कसि/कनि चीजों की व्यवस्था करता है? (2011)

1. ज़िला योजना समितियों का गठन करने की
2. राज्य नरिवाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की
3. राज्य वतित आयोगों की स्थापना करने की

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

व्याख्या

- नगर पालिकाओं से संबंधित 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243ZD में प्रावधान है कि ज़िला स्तर पर प्रत्येक राज्य एक ज़िले का गठन करेगा ।
- योजना समिति, जो समग्र रूप से ज़िले के लिये एक विकास योजना प्रस्तावति करके पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं के समेकन के लिये ज़िम्मेदार होगी । **अतः 1 सही नहीं है ।**
- 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243K में कहा गया है कि पंचायतों के सभी नरिवाचनों के लिये मतदाता सूची की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, नरिदेशन और नरियंत्रण राज्य नरिवाचन आयोग में नहिति होगा । **अतः 2 सही है ।**
- 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243L में कहा गया है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्तिपर; राज्यपाल पंचायतों की वतित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये एक राज्य वतित आयोग का गठन करेंगे । यह राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों की शुद्ध आय के वतितरण और संभावति आवंटन वनियोजन एवं समेकति नधिसे पंचायतों को सहायता अनुदान के मामलों में राज्यपाल को सफिररिं करेगा । **अतः 3 सही है ।**

अतः विकल्प (C) सही उत्तर है ।

????

प्रश्न. आदर्श आचार-संहति के उद्भव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका का वविचन कीजिये । (2022)